THE CORE IAS

UPSC-CSE 2023-2024 के लिए उपयोगी

पत्र सूचना कार्यालय
PRESS INFORMATION BUREAU
भारत सरकार

सितंबर-2024

www.thecoreias.com
/thecoreias /thecoreias /iascore /thecoreias /thecoreias

विषय सूची

I. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (1-4)

II. रक्षा (5-7)

III. अर्थव्यवस्था (8-9)

IV. पर्यावरण (10-11)

V. इतिहास (12)

VI. भारतीय राजनीति (13-18)

VII. राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय (19-23)

VIII. योजना (24-26)

IX. रिपोर्ट एवं सूचकांक (27)

X. मुख्य परीक्षा के लिए (28)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी

- **डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक एक दुर्लभ अपक्षयी बीमारी समय के साथ मांसपेशियों को कमजोर बना देती है जब तक कि यह पूरे शरीर को प्रभावित नहीं करती। पाँच हजार लड़कों में से एक इस स्थिति के साथ पैदा होता है।**
- **यह एक्स**-गुणसूत्र **उत्परिवर्तन के परिणामस्वरूप होता है। सबसे पहले, चलना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, फिर अन्य कार्य** प्रभावित **होते हैं, और अंत में, श्वास और हृदय कार्य प्रभावित होते हैं क्योंकि हृदय भी एक मांसपेशी है।**
- **सीखने और व्यवहार संबंधी समस्याएं संभावित रूप से इस स्थिति का एक लक्षण हो सकती हैं क्योंकि** आवश्यक **प्रोटीन का मस्तिष्क में भी एक उद्देश्य होता है।**

डार्क पैटर्न पर विनियमन

डार्क पैटर्न भ्रामक डिजाइन तकनीकें हैं **जिनका उपयोग उपयोगकर्ताओं को अवांछित विकल्प चुनने के लिए धोखा देने के लिए किया जाता है।** इनका उपयोग अक्सर वेबसाइटों और ऐप्स द्वारा उपयोगकर्ताओं को न्यूजलेटर्स के लिए साइन अप करने, उत्पाद खरीदने या व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए किया जाता है।

डार्क पैटर्न का पता लगाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वे सूक्ष्म और चतुर होने के लिए डिजाइन किए गए हैं।

समस्याएँ:

- **छुपी कीमत:**डार्क पैटर्न में अक्सर छिपी हुई लागतें शामिल होती हैं, जैसे सदस्यता शुल्क या रद्दीकरण शुल्क।
- **सीमित विकल्प:**डार्क पैटर्न अक्सर उपयोगकर्ता की पसंद को सीमित कर देते हैं, जिससे उनके लिए अवांछित लेनदेन से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है।
- **भ्रमित करने वाली भाषा:**डार्क पैटर्न अक्सर भ्रमित करने वाली भाषा का उपयोग करते हैं जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि वे किस बात से सहमत हैं।
- **दबाव की रणनीति:**डार्क पैटर्न अक्सर दबाव की रणनीति का उपयोग करते हैं, जैसे उलटी गिनती टाइमर या सीमित समय की पेशकश, ताकि उपयोगकर्ताओं को यह महसूस हो कि उन्हें जल्दी से निर्णय लेना है।

परिणाम:

- डार्क पैटर्न के उपयोगकर्ताओं के लिए कई नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। वे उपयोगकर्ताओं को अवांछित सदस्यता के लिए साइन अप करने, उन उत्पादों को खरीदने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जो वे नहीं चाहते हैं, या व्यक्तिगत जानकारी साझा कर सकते हैं जिसे वे साझा नहीं करना चाहते हैं। डार्क पैटर्न उपयोगकर्ताओं के लिए अपने डेटा और गोपनीयता को नियंत्रित करना भी मुश्किल बना सकते हैं।
- डार्क पैटर्न को विनियमित करने के लिए आंदोलन बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड जैसे कुछ देशों ने पहले से ही डार्क पैटर्न को विनियमित करने के लिए कदम उठाए हैं। यूके में, प्रतिस्पर्धा और बाजार प्राधिकरण ने डार्क पैटर्न पर मार्गदर्शन जारी किया है, और नीदरलैंड ने एक कानून पारित किया है जो ऑनलाइन विज्ञापन में डार्क पैटर्न के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।
- डार्क पैटर्न को विनियमित करने के कई अलग-अलग तरीके हैं। एक दृष्टिकोण कुछ डार्क पैटर्न तकनीकों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना है। एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि वेबसाइटों और ऐप्स को उपयोगकर्ताओं को डार्क पैटर्न के उपयोग का खुलासा करने की आवश्यकता है। तीसरा तरीका उपयोगकर्ताओं को अपने डेटा और गोपनीयता पर अधिक नियंत्रण देना है।
- उपभोक्ताओं की सुरक्षा और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए डार्क पैटर्न को विनियमित करना एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे प्रभावी नियम विकसित करना महत्वपूर्ण है जो व्यवसायों को डार्क पैटर्न का उपयोग करने से रोकेंगे और उपभोक्ताओं को उनके नकारात्मक परिणामों से बचाएंगे।

कृत्रिम चट्टानें

- कृत्रिम चट्टानें मानव निर्मित पानी के नीचे की संरचनाएं हैं जो समुद्री जीवन के लिए आवास प्रदान करती हैं।

- **ये आम तौर पर समुद्री जीवन को बढ़ावा देने के लिए आकृति-रहित तल वाले क्षेत्रों में बनायी जाती हैं, और उनका उद्देश्य कटाव को नियंत्रित करना, तटीय क्षेत्रों की रक्षा करना, जहाज के मार्ग को अवरुद्ध करना, ट्रॉलिंग नेट के उपयोग को रोकना, रीफ बहाली का समर्थन करना, जलीय कृषि में सुधार करना और सर्फिंग या स्कूबा डाइविंग को बढ़ाना हो सकता है।**
- **कृत्रिम चट्टानें कई प्रकार की होती हैं, जिनमें शामिल हैं:**

1. **जहाज का मलबा:** बिखरे हुए जहाज कृत्रिम चट्टानों के सबसे आम प्रकारों में से एक हैं। वे समुद्री जीवन के लिए विभिन्न प्रकार के आवास प्रदान करते हैं, जिनमें मछलियों के छिपने के लिए दरारें और दरारें और शैवाल और अकशेरुकी जीवों के लिए कठोर सतहें शामिल हैं।
2. **तेल और गैस प्लेटफार्म:** जब तेल और गैस प्लेटफॉर्म निष्क्रिय हो जाते हैं, तो कृत्रिम चट्टानें बनाने के लिए उन्हें डुबोया जा सकता है। वे जहाजों के मलबे के समान हैं क्योंकि वे समुद्री जीवन के लिए विभिन्न प्रकार के आवास प्रदान करते हैं।
3. **कंक्रीट रीफ मॉड्यूल:** कंक्रीट रीफ मॉड्यूल विशेष रूप से कृत्रिम चट्टानें बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वे आम तौर पर कंक्रीट ब्लॉकों से बने होते हैं जिन्हें समुद्री जीवन के लिए एक जटिल आवास बनाने के लिए विभिन्न आकारों और आकारों में व्यवस्थित किया जाता है।
4. **रीफ बॉल्स:** रीफ बॉल खोखले गोले होते हैं जो कंक्रीट से बने होते हैं। इन्हें समुद्री जीवन के लिए विभिन्न प्रकार के आवास प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें मछलियों के छिपने के लिए दरारें और दरारें, और शैवाल और अकशेरुकी जीवों को बसने के लिए स्थान शामिल हैं।

कृत्रिम चट्टानें कई लाभ प्रदान कर सकती हैं, जिनमें शामिल हैं:

1. **समुद्री जैव विविधता में वृद्धि:** कृत्रिम चट्टानें मछली, मूंगा, शैवाल और अकशेरुकी जीवों सहित विभिन्न प्रकार के समुद्री जीवन के लिए आवास प्रदान कर सकती हैं। इससे आसपास के क्षेत्र में जैव विविधता बढ़ सकती है।
2. **उन्नत मत्स्य पालन:** कृत्रिम चट्टानें मछलियों के लिए नर्सरी आवास प्रदान कर सकती हैं, जिससे मत्स्य पालन में सुधार हो सकता है।
3. **कटाव में कमी:** कृत्रिम चट्टानें पानी के प्रवाह को धीमा करके और तलछट को फंसाकर कटाव को कम करने में मदद कर सकती हैं।
4. **पानी की गुणवत्ता में सुधार:** कृत्रिम चट्टानें प्रदूषकों को फिल्टर करके और प्रदूषकों को तोड़ने वाले बैक्टीरिया के लिए आवास प्रदान करके पानी की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकती हैं।
5. **स्कूबा डाइविंग और सर्फिंग गंतव्य:** कृत्रिम चट्टानें लोकप्रिय स्कूबा डाइविंग और सर्फिंग गंतव्य बना सकती हैं।

कृत्रिम चट्टानें समुद्री संरक्षण और मनोरंजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। **वे विभिन्न प्रकार के समुद्री जीवन के लिए आवास प्रदान कर सकते हैं, मत्स्य पालन में सुधार कर सकते हैं, कटाव को कम कर सकते हैं, पानी की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और लोकप्रिय स्कूबा डाइविंग और सर्फिंग गंतव्य बना सकते हैं।**

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि समुद्री संरक्षण के लिए कृत्रिम चट्टानें कोई जादू की गोली नहीं हैं। प्रभावी होने के लिए उन्हें सावधानीपूर्वक डिजाइन और रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि कृत्रिम चट्टानों का उचित प्रबंधन न किया जाए तो वे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। उदाहरण के लिए, कृत्रिम चट्टानें उन शिकारियों को आकर्षित कर सकती हैं जो देशी समुद्री जीवन का शिकार करते हैं।

तकनीकी वस्त्र

- तकनीकी वस्त्र कपड़ा सामग्री और उत्पाद हैं जिनका उपयोग मुख्य रूप से उनके सौंदर्य या सजावटी विशेषताओं के बजाय उनके तकनीकी प्रदर्शन और कार्यात्मक गुणों के लिए किया जाता है।
- **इन्हें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और सिंथेटिक फाइबर का उपयोग करके निर्मित किया जाता है, और मजबूती, स्थायित्व, लचीलापन, अग्नि-प्रतिरोध, नमी अवशोषण और निस्पंदन जैसे गुणों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित करने के लिए इंजीनियर किया जा सकता है।**

तकनीकी वस्त्रों का उपयोग उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जाता है, जिनमें शामिल हैं:

- **ऑटोमोटिव:** टायर के तार, सीट बेल्ट, एयरबैग, फिल्टर, ध्वनिरोधी सामग्री
- **निर्माण:** जियो-टेक्सटाइल, छत सामग्री, इन्सुलेशन
- **चिकित्सा:** प्रत्यारोपण, घाव की ड्रेसिंग, सर्जिकल गाउन, पट्टियाँ
- **कृषि:** कृषि-वस्त्र, मल्चिंग शीट, कीट जाल
- **सुरक्षात्मक कपड़े:** फायर फाइटर गियर, सैन्य वर्दी, खेल सुरक्षा गियर

- **उद्योग:** निस्पंदन सामग्री, कन्वेयर बेल्ट, नली
- **घर का सामान:** कालीन, असबाब, पर्दे

यहां तकनीकी वस्त्रों के कुछ विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं:

- **केवलर:** एक उच्च शक्ति वाला सिंथेटिक फाइबर जिसका उपयोग बुलेटप्रूफ जैकेट, चाकू-प्रतिरोधी कपड़ों और नली और रस्सियों जैसे औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है।
- **नोमेक्स:** एक ज्वाला-प्रतिरोधी सिंथेटिक फाइबर जिसका उपयोग फायरफाइटर गियर, सैन्य वर्दी और विमान के अंदरूनी हिस्सों में किया जाता है।
- **स्पैन्डेक्स:** एक सिंथेटिक फाइबर जो अपनी लोच के लिए जाना जाता है और इसका उपयोग स्पोर्ट्सवियर, अधोवस्त्र और चिकित्सा वस्त्रों में किया जाता है।
- **भू टेक्सटाइल:** कपड़ा जो मिट्टी को मजबूत करने और कटाव को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है।
- **कृषि-वस्त्र:** वे वस्त्र जिनका उपयोग फसलों को खरपतवारों, कीटों और तत्वों से बचाने के लिए किया जाता है।

तकनीकी वस्त्र, कपड़ा उद्योग का एक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है, क्योंकि इसके अनुप्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला और विभिन्न चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान प्रदान करने की उनकी क्षमता है।

तकनीकी वस्त्रों के लाभ:

तकनीकी वस्त्र पारंपरिक वस्त्रों की तुलना में कई लाभ प्रदान करते हैं, जिनमें शामिल हैं:

- **मजबूती और स्थायित्व:**तकनीकी वस्त्र अक्सर उच्च शक्ति वाले रेशों से बनाए जाते हैं, जो उन्हें पारंपरिक वस्त्रों की तुलना में अधिक टिकाऊ बनाता है।
- **अग्नि-प्रतिरोध:**तकनीकी वस्त्रों को आग प्रतिरोधी बनाने के लिए डिजाइन किया जा सकता है, जिससे वे उन अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए आदर्श बन जाते हैं जहां अग्नि सुरक्षा चिंता का विषय है।
- **नमी अवशोषण:**तकनीकी वस्त्रों को नमी को अवशोषित करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है, जो उन्हें उन अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए आदर्श बनाता है जहां नमी को शरीर से दूर करने की आवश्यकता होती है।
- **छानने का काम:**तकनीकी वस्त्रों को प्रदूषकों और दूषित पदार्थों को फिल्टर करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है, जिससे वे वायु और जल निस्पंदन जैसे अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए आदर्श बन जाते हैं।
- **सौन्दर्यात्मक आकर्षण:**तकनीकी वस्त्रों को विभिन्न प्रकार के सौंदर्यपरक फिनिश के साथ डिजाइन किया जा सकता है, जिससे वे विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए उपयुक्त हो जाते हैं।

तकनीकी वस्त्रों का भविष्य:

तकनीकी वस्त्रों का भविष्य बहुत आशाजनक है। जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है, उद्योगों की बढ़ती श्रृंखला की जरूरतों को पूरा करने के लिए नए और नवीन तकनीकी वस्त्र विकसित किए जाएंगे। तकनीकी वस्त्रों में उभरते कुछ रुझानों में शामिल हैं:

- **स्मार्ट टेक्सटाइल्स:** स्मार्ट टेक्सटाइल ऐसे वस्त्र हैं जो पहनने वाले के पर्यावरण या स्वास्थ्य पर वास्तविक समय डेटा प्रदान करने के लिए सेंसर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े होते हैं।
- **जैव-निम्नीकरणीय वस्त्र:** जैव-निम्नीकरणीय वस्त्र टिकाऊ सामग्रियों से बनाए जाते हैं जिन्हें पर्यावरण में सूक्ष्मजीवों द्वारा तोड़ा जा सकता है।
- **स्व-उपचार वस्त्र:** स्व-उपचार वस्त्र ऐसे वस्त्र हैं जो क्षतिग्रस्त होने पर स्वयं की मरम्मत करने में सक्षम होते हैं।

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS)

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) रिचार्जेबल बैटरी हैं जो विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा संग्रहीत कर सकती हैं और जरूरत पड़ने पर इसे डिस्चार्ज कर सकती हैं। ठ्रै में एक या अधिक बैटरियां होती हैं और इसका उपयोग इलेक्ट्रिक ग्रिड को संतुलित करने, बैकअप पावर प्रदान करने और ग्रिड स्थिरता में सुधार करने के लिए किया जा सकता है।

BESS सिस्टम कैसे काम करते हैं:

BESS सिस्टम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके और इसे बैटरी में संग्रहीत करके काम करते हैं। जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो बैटरियों को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और रासायनिक ऊर्जा को वापस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है।

BESS सिस्टम का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं:

- **ग्रिड संतुलन:** BESS सिस्टम कम मांग के समय अतिरिक्त ऊर्जा का भंडारण करके और उच्च मांग के समय इसका निर्वहन करके विद्युत ग्रिड को संतुलित करने में मदद कर सकता है। इससे उत्पादन बढ़ाने और घटाने के लिए जीवाश्म ईंधन बिजली संयंत्रों की आवश्यकता को कम करने में मदद मिलती है।
- **बिजली का बैकअप:** BESS सिस्टम बिजली कटौती के दौरान घरों, व्यवसायों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए बैकअप पावर प्रदान कर सकता है।
- **शिखर शेविंग:** BESS सिस्टम का उपयोग चरम बिजली की मांग को कम करने के लिए किया जा सकता है, जो ऊर्जा लागत और उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है।

- **आवृत्ति विनियमन:** BESS सिस्टम विद्युत ग्रिड की आवृत्ति को विनियमित करने में मदद कर सकता है, जो विश्वसनीय बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

BESS के प्रकार:

- **लिथियम आयन बैटरी:** लिथियम-आयन बैटरियां ग्रिड-स्केल अनुप्रयोगों में उपयोग की जाने वाली सबसे सामान्य प्रकार की BESS हैं। वे अपेक्षाकृत कुशल हैं और उनका जीवनकाल लंबा है। हालाँकि, वे महंगे हो सकते हैं।
- **शीशा अम्लीय बैटरी:** लेड-एसिड बैटरियां लिथियम-आयन बैटरियों की तुलना में कम महंगी होती हैं, लेकिन वे कम कुशल भी होती हैं और उनका जीवनकाल भी कम होता है।
- **प्रवाह बैटरी:** फ्लो बैटरियां एक नए प्रकार की BESS हैं जो ऊर्जा संग्रहित करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग करती हैं। वे लिथियम-आयन और लेड-एसिड बैटरियों की तुलना में अधिक कुशल हैं, लेकिन वे अधिक महंगी भी हैं।
- **फ्लाईव्हील:** फ्लाईव्हील तकनीकी रूप से बैटरी नहीं हैं, लेकिन उनका उपयोग इसी तरह से ऊर्जा भंडारण के लिए किया जा सकता है। फ्लाईव्हील बहुत कुशल होते हैं और इनका जीवनकाल लंबा होता है, लेकिन ये बहुत महंगे भी होते हैं।

BESS के अनुप्रयोग

- **विद्युत ग्रिड:** BESS सिस्टम का उपयोग इलेक्ट्रिक ग्रिड को संतुलित करने, बैकअप पावर प्रदान करने और ग्रिड स्थिरता में सुधार करने के लिए किया जाता है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा:** BESS सिस्टम का उपयोग सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा को संग्रहीत करने और जरूरत पड़ने पर इसे डिस्चार्ज करने के लिए किया जा सकता है।
- **स्मार्ट घर:** BESS सिस्टम का उपयोग सौर पैनलों और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा को संग्रहीत करने और घर को बिजली देने के लिए किया जा सकता है जब सूरज चमक नहीं रहा हो या हवा नहीं चल रही हो।
- **बिजली के वाहन:** BESS सिस्टम का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों में ऊर्जा भंडारण और वाहन को शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है।

BESS के लाभ:

- **बेहतर ग्रिड विश्वसनीयता:** BESS सिस्टम बैकअप पावर प्रदान करके और ग्रिड की आवृत्ति को विनियमित करके ग्रिड विश्वसनीयता में सुधार करने में मदद कर सकता है।
- **उत्सर्जन में कमी:** BESS सिस्टम उत्पादन को बढ़ाने और घटाने के लिए जीवाश्म ईंधन बिजली संयंत्रों की आवश्यकता को कम करके उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है।
- **कम ऊर्जा लागत:** BESS प्रणालियाँ अधिकतम बिजली की मांग को कम करके और बैकअप पावर प्रदान करके ऊर्जा लागत को कम करने में मदद कर सकती हैं।
- **नवीकरणीय ऊर्जा परिनियोजन में वृद्धि:** BESS सिस्टम इन स्रोतों से ऊर्जा का भंडारण करके और जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग करके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तैनाती को बढ़ाने में मदद कर सकता है।

BESS की चुनौतियाँ:

- **लागत:** BESS सिस्टम को स्थापित करना और संचालित करना महंगा हो सकता है।
- **जीवनकाल:** BESS सिस्टम का जीवनकाल सीमित होता है, जिसका अर्थ है कि उन्हें समय-समय पर बदलने की आवश्यकता होती है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** BESS बैटरियों के निर्माण और निपटान का पर्यावरणीय प्रभाव हो सकता है।

***

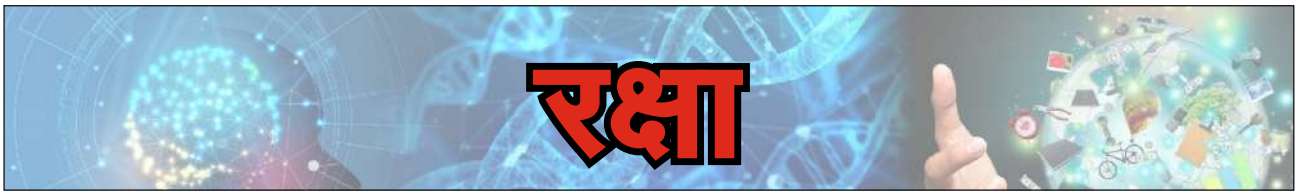

वरुण

- **भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना का** द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 'वरुण' 1993 में शुरू किया गया था।
- यह मजबूत भारत-फ्रांस रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों की पहचान बन गया है।

ICG समुद्र प्रहरी

- आईसीजी समुद्र प्रहरी भारतीय तटरक्षक बल का एक **विशेष प्रदूषण नियंत्रण पोत** है। यह 3000 टन का जहाज है और इसमें एक हेलीकॉप्टर डेक और एक स्वचालित समुद्री प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली है। यह समुद्री प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और खत्म करने में सक्षम है।
- आईसीजी समुद्र प्रहरी को 2017 में गुजरात के एबीजी शिपयार्ड में कमीशन किया गया था। यह भारत का सबसे उन्नत प्रदूषण नियंत्रण पोत है और भारतीय तटरेखा की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

INS निरीक्षक

- आईएनएस निरीक्षक भारतीय नौसेना का एक **गोताखोरी सहायता और पनडुब्बी बचाव जहाज** है। इसे 1985 में मझगांव शिपयार्ड, मुंबई द्वारा बनाया गया था और 1995 में सेवा में लाया गया था। यह 4000 टन का जहाज है और इसमें एक गतिशील पोजिशनिंग सुविधा और एक पुनर्संपीड़न कक्ष है। यह 257 मीटर की गहराई तक गोता लगाने में सक्षम है।
- आईएनएस निरीक्षक का उपयोग पनडुब्बी मलबा बचाव अभियान, गोताखोरी प्रशिक्षण और समुद्र के नीचे के अभियानों में किया जाता है। यह भारतीय नौसेना की गोताखोरी क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

सिम्बेक्स

- भारत-सिंगापुर नौसैनिक अभ्यास

केंद्रीय सेवा विकास संगठन

- केंद्रीय सेवा विकास संगठन भारतीय वायु सेना के रखरखाव पदानुक्रम में एक प्रमुख संस्थान है।
- जैसे ही साठ के दशक की शुरुआत में भारतीय वायुसेना के विमानों की सूची का विस्तार शुरू हुआ, विमान के प्रकार और मूल देश दोनों के संबंध में, विमान रखरखाव प्रबंधन की समस्या का समाधान करने की आवश्यकता महसूस की गई।
- CSDE (सेंट्रल सर्विसिंग डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट) की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए एक टीम का गठन किया गया था। नतीजतन, केंद्रीय सेवा विकास संगठन का गठन 01 नवंबर 1968 को दो टुकड़ियों, एक-एक दिल्ली और बैंगलोर में, के साथ कानपुर में किया गया था।

ऑपरेशन सजग

- ऑपरेशन सजग **भारत सरकार द्वारा** चलाया गया एक अभियान है जो नागरिकों को **साइबर अपराधों के बारे में जागरूक करने और उन्हें शिक्षित करने के लिए** बनाया गया है। यह अभियान 2015 में शुरू किया गया था और तब से इसने भारत में साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- ऑपरेशन सजग के तहत, सरकार विभिन्न कार्यक्रम और पहल आयोजित करती है, जिनमें शामिल हैं:

जागरूकता अभियान: सरकार टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया के जरिए साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाती है। ये अभियान नागरिकों को साइबर अपराधों के बारे में सूचित करते हैं और उन्हें साइबर सुरक्षा उपाय करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

शिक्षा कार्यक्रम: सरकार स्कूलों, कॉलेजों और व्यावसायिक संगठनों में साइबर सुरक्षा शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करती है। ये कार्यक्रम नागरिकों को साइबर सुरक्षा के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में शिक्षित करते हैं।

सुरक्षा उपाय: सरकार नागरिकों को साइबर सुरक्षा उपाय करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जैसे मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना और अपने डिजिटल उपकरणों को सुरक्षित रखना।

- ऑपरेशन सजग के परिणामस्वरूप भारत में साइबर सुरक्षा जागरूकता में काफी सुधार हुआ है। 2015 में, केवल 20% भारतीयों को साइबर-अपराधों के बारे में जानकारी थी। 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 70% हो जाता है.

ऑपरेशन सजग के कुछ विशिष्ट परिणामों में शामिल हैं:

- **साइबर अपराधों की संख्या में कमी:** ऑपरेशन सजग के शुरू होने के बाद से भारत में साइबर अपराधों की संख्या में गिरावट आई है।
- **साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ी:** ऑपरेशन सजग से भारत में साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता काफी बढ़ी है।
- **साइबर सुरक्षा उपायों में वृद्धि:** ऑपरेशन सजग ने भारतीयों को साइबर सुरक्षा उपाय करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

युद्ध अभ्यास-23

यह **भारतीय सेना और संयुक्त राज्य अमेरिका सेना** द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है।

भारत ड्रोन शक्ति

- यह अपनी तरह का पहला ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन है।
- कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शित ड्रोनों को विभिन्न सैन्य और नागरिक अनुप्रयोगों के लिए नियोजित किया जा सकता है। हवाई और स्थैतिक प्रदर्शनों की एक श्रृंखला के माध्यम से अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करके, IAF और DFI 2030 तक भारत को एक प्रमुख ड्रोन केंद्र बनाने की सरकार की पहल को बढ़ावा देना चाहते हैं।

***

THE CORE IAS

THE CORE IAS
GS ANSWER WRITING
CURRENT AFFAIRS
ADVANCED COURSE
GS FOUNDATION
OPTIONAL SUBJECT
HINDI SAHITYA
HISTORY OPTIONAL
GEOGRAPHY OPTIONAL
THE CORE IAS
CSAT
011-41008973, 8800141518

Scan QR Code To See Thecore's Achievers

2022
22 Questions In Prelims

2023
31 Questions In Prelims

2024
For You

53/18, Old Rajinder Nagar, New Delhi, 110060
011-41008973, 8800141518

किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी (GSFR)

- किसानों के अधिकारों पर पहला वैश्विक संगोष्ठी (GSFR) भारत सरकार और पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण (PPVFR) प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया था।
- GSFR ने 60 देशों के 500 से अधिक प्रतिनिधियों को एक साथ लाया, जिनमें किसान, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। संगोष्ठी का उद्देश्य अनुभवों को साझा करना और किसानों के अधिकारों पर संभावित भविष्य के काम पर चर्चा करना था।
- किसानों के अधिकार खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (ITPGRFA) द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारों का एक समूह है। इन अधिकारों में कृषि-संरक्षित बीज को बचाने, उपयोग करने, विनिमय करने और बेचने का अधिकार शामिल है; पादप आनुवंशिक संसाधनों से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने का अधिकार; और पादप आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से लाभ पाने का अधिकार।

GSFR ने चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया:

- **खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ कृषि सुनिश्चित करने में किसानों के अधिकारों का महत्व।**
- **किसानों के अधिकारों को साकार करने की चुनौतियाँ और अवसर।**
- **विभिन्न देशों से सीखे गए अच्छे अभ्यास और सबक।**
- **किसानों के अधिकारों के लिए आगे का रास्ता.**

संगोष्ठी में कई सिफारिशें की गईं, जिनमें शामिल हैं:

- **किसानों के अधिकारों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तंत्र को मजबूत करना।**
- **किसानों और नीति निर्माताओं के बीच किसान अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।**
- **किसानों को उनके किसान अधिकारों का प्रयोग करने में समर्थन देना।**
- **किसानों के अधिकारों पर अनुसंधान और विकास में निवेश।**

GSFR किसानों के अधिकारों के लिए वैश्विक आंदोलन में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने दुनिया भर के हितधारकों को अपने अनुभव साझा करने और आगे बढ़ने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान किया। संगोष्ठी की सिफारिशों का उपयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के अधिकारों पर भविष्य के काम को सूचित करने के लिए किया जाएगा।

GSFR किसानों के अधिकारों के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना थी। यह पहली बार था कि हितधारकों का इतना बड़ा और विविध समूह इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक साथ आया था। संगोष्ठी में कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गईं जो किसानों के अधिकारों को मजबूत करने में मदद करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि किसान खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ कृषि सुनिश्चित करने में केंद्रीय भूमिका निभाना जारी रख सकें।

एंजेल टैक्स

- यह गैर-सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा शेयर जारी करके जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाने वाला कर है, यदि जारी किए गए शेयरों का शेयर मूल्य कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक देखा जाता है।
- उचित मूल्य से ऊपर की कीमतों पर जुटाई गई अतिरिक्त धनराशि को आय माना जाता है, जिस पर कर लगाया जाता है।
- यह उचित बाजार मूल्य से अधिक शुद्ध निवेश पर 30.9% की दर से लगाया जाता है।

उद्देश्य: किसी नजदीकी कंपनी के शेयरों की सदस्यता के माध्यम से उचित बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर बेहिसाब धन के सृजन और उपयोग को रोकना।

2019 में, सरकार ने कुछ शर्तों को पूरा करने पर स्टार्टअप्स के लिए एंजेल टैक्स से छूट की घोषणा की:

- स्टार्टअप को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा एक योग्य स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।

- स्टार्टअप की चुकता शेयर पूंजी और शेयर प्रीमियम की कुल राशि ₹25 करोड़ से अधिक नहीं हो सकती। इस राशि में अनिवासी भारतीयों, वेंचर कैपिटल फर्मों और निर्दिष्ट कंपनियों से जुटाई गई धनराशि शामिल नहीं है।
- एंजेल निवेशकों के लिए, उचित बाजार मूल्य से अधिक निवेश की राशि पर 100% कर छूट का दावा किया जा सकता है। हालाँकि, निवेशक की कुल संपत्ति ₹2 करोड़ या पिछले 3 वित्तीय वर्षों में ₹25 लाख से अधिक की आय होनी चाहिए।

किस पर?

- **पहले, एंजेल टैक्स प्रावधान** केवल निवासी निवेशकों से प्राप्त निवेश के लिए लागू थे।
- **हालाँकि, वित्त विधेयक 2023 में** इसकी प्रयोज्यता **को** अनिवासी निवेशकों के लिए भी **बढ़ा दिया गया है।**

***

वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन

क्या है?

- वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस) G20-अध्यक्ष के रूप में भारत की एक पहल है।
- यह **जैव ईंधन को अपनाने की सुविधा के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उद्योग का गठबंधन विकसित करने के लिए भारत के नेतृत्व वाली एक पहल है। जैव ईंधन के विकास और तैनाती को चलाने के लिए जैव ईंधन के सबसे बड़े उपभोक्ताओं और उत्पादकों को एक साथ लाते हुए, इस पहल का उद्देश्य जैव ईंधन को ऊर्जा संक्रमण की कुंजी के रूप में स्थापित करना और नौकरियों और आर्थिक विकास में योगदान देना है।**

उद्देश्य:

- इस **गठबंधन का इरादा प्रौद्योगिकी प्रगति को सुविधाजनक बनाने, टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को तेज करने, हितधारकों के व्यापक स्पेक्ट्रम की भागीदारी के माध्यम से मजबूत मानक सेटिंग और प्रमाणन को आकार देने के माध्यम से जैव ईंधन के वैश्विक उत्थान में तेजी लाने का है।**
- **गठबंधन ज्ञान के केंद्रीय भंडार और विशेषज्ञ केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। इसका लक्ष्य एक उत्प्रेरक मंच के रूप में काम करना है, जो जैव ईंधन की उन्नति और व्यापक रूप से अपनाने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है।**

लाभ:

- वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन **मूल्य श्रृंखला में क्षमता-निर्माण अभ्यास, राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए तकनीकी सहायता और नीति पाठ-साझाकरण को बढ़ावा देकर टिकाऊ जैव ईंधन के विश्वव्यापी विकास और तैनाती का समर्थन करेगा।**
- **यह उद्योगों, देशों, पारिस्थितिकी तंत्र के खिलाड़ियों और प्रमुख हितधारकों को मांग और आपूर्ति** के मानचित्रीकरण **में सहायता करने के साथ-साथ प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को अंतिम उपयोगकर्ताओं से जोड़ने के लिए एक आभासी बाजार जुटाने की सुविधा प्रदान करेगा। यह जैव ईंधन अपनाने और व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों, संहिताओं, स्थिरता सिद्धांतों और विनियमों के विकास, अपनाने और कार्यान्वयन की सुविधा भी प्रदान करेगा।**
- यह पहल भारत के लिए कई मोर्चों पर लाभप्रद होगी। G-20 की अध्यक्षता के एक ठोस परिणाम के रूप में यह गठबंधन, विश्व स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा। इसके अलावा, गठबंधन सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा और प्रौद्योगिकी निर्यात और उपकरण निर्यात के रूप में भारतीय उद्योगों को अतिरिक्त अवसर प्रदान करेगा।
- **यह भारत के मौजूदा जैव ईंधन कार्यक्रमों जैसे पीएम-जीवन योजना, सतत और गोबरधन योजना में तेजी लाने में मदद करेगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि, रोजगार सृजन और भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र विकास में योगदान मिलेगा।**

हरित अमोनिया

- हरित **अमोनिया वह अमोनिया है जो** 100% नवीकरणीय और कार्बन-मुक्त प्रक्रिया द्वारा उत्पादित होता है।
- **अमोनिया एक तीखी गैस है जिसका व्यापक रूप से कृषि उर्वरक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अमोनिया बनाने की वर्तमान प्रक्रिया श्हरितश प्रक्रिया नहीं है।**
- **हरित अमोनिया का उत्पादन शुद्ध-शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में संक्रमण के लिए और विकल्प प्रदान कर सकता है।**
- **हैबर प्रक्रिया में, अमोनिया, छभ्3 का उत्पादन करने के लिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को उच्च तापमान और दबाव पर एक साथ प्रतिक्रिया की जाती है।**

मलबा प्रोजेक्ट

- **मलबा प्रोजेक्ट दिल्ली स्थित एक स्टार्टअप है जो भारत में निर्माण क्षेत्र में एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की सुविधा प्रदान करता है। वे मुख्य रूप से छोटे अपशिष्ट**

उत्पादकों के लिए निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट संग्रह सुविधाओं को आसानी से सुलभ बनाकर निर्माण और विध्वंस कचरे के अवैध डंपिंग की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

- मलबा परियोजना की तकनीक-सक्षम प्रणाली में एक मलबा मानचित्र शामिल है जो शहर में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट हॉटस्पॉट और बुनियादी ढांचे का ट्रैक रखता है जो उत्पन्न होने वाले ऐसे कचरे की मात्रा पर नजर रखने में मदद करता है, संग्रह बिंदु प्रबंधन प्रणाली नगर निगमों को पड़ोस स्तर पर अपशिष्ट संग्रह को सुव्यवस्थित करने में मदद करती है, और MyMalba ऐप स्थापित करने के अलावा अपशिष्ट डेटा को डिजिटल बनाती है, जो निवासियों के लिए अपनी साइटों से आसानी से निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट पिकअप का अनुरोध करने के लिए एक कैब एग्रीगेटर जैसा ऐप है।
- मालबा परियोजना के केंद्र में सभी अपशिष्ट जनरेटरों के लिए एक किफायती, सुविधाजनक अपशिष्ट पिकअप सेवा प्रदान करने, रीसाइक्लिंग संयंत्रों के लिए अपशिष्ट आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए अनौपचारिक अपशिष्ट ढोने वालों, शहरी स्थानीय निकायों और रीसाइक्लिंग संयंत्रों के बीच सभी के लिये जीत की साझेदारी बना रही है।

***

नदी उत्सव

- **इस** नेक पहल की कल्पना लोगों को उनकी पारिस्थितिकी और पर्यावरण के बारे में जागरूक करने और संवेदनशील बनाने के लिए की गई थी। श्नदी उत्सवश 2018 में शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन कार्यक्रम गोदावरी नदी के तट पर स्थित नासिक (महाराष्ट्र) शहर में आयोजित किया गया था।
- दूसरा 'नदी उत्सव' कृष्णा नदी के तट पर स्थित विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) शहर में और तीसरा गंगा नदी के तट पर स्थित शहर मुंगेर (बिहार) में हुआ।

रामदुर्ग किला

- रामदुर्ग किला **कर्नाटक** के बेलगावी जिले के रामदुर्ग शहर में स्थित एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है।
- यह किला क्षेत्र में **व्यापार और वाणिज्य** के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करता था और यह सदियों पुराना है।

***

भारतीय राजनीति

भण्डारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (WDRA)

- वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना 2007 में की गयी थी।
- **WDRA का मिशन गोदामों के विकास और विनियमन के लिए वेयरहाउसिंग अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के कार्यान्वयन को विनियमित और सुनिश्चित करना, वेयरहाउस रसीदों की परक्राम्यता के विनियमन और वेयरहाउसिंग व्यवसाय के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना है।**

WDRA के पास कई शक्तियां और कार्य हैं, जिनमें शामिल हैं:

- **गोदामों का पंजीकरण**
- **भण्डारण व्यवसाय का विनियमन**
- **गोदाम रसीदें जारी करना**
- **इलेक्ट्रॉनिक गोदाम रसीदों के उपयोग को बढ़ावा देना**
- **गोदाम मालिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना**
- **भण्डारण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास का संचालन करना**

WDRA कृषि वस्तुओं के वित्तपोषण के लिए गोदामों के उपयोग को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए इसने कई योजनाएं विकसित की हैं, जैसे वेयरहाउस रसीद वित्त योजना और इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रसीद वित्त योजना।

WDRA ने भारत में भंडारण क्षेत्र के विकास और विनियमन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इससे पंजीकृत गोदामों की संख्या और गोदामों में संग्रहीत माल की मात्रा बढ़ाने में मदद मिली है। इसने इलेक्ट्रॉनिक गोदाम रसीदों के उपयोग को बढ़ावा देने और गोदामों के माध्यम से कृषि वस्तुओं के वित्तपोषण की सुविधा में भी भूमिका निभाई है।

WDRA भारत में भंडारण क्षेत्र के विकास और विनियमन में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह एक अधिक कुशल और पारदर्शी भंडारण प्रणाली बनाने के लिए काम कर रहा है जिससे सभी हितधारकों को लाभ होगा।

सामाजिक अधिकारिता शिविर

- इन शिविरों का लक्ष्य भारत सरकार की ADIP (सहायकों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता) और राष्ट्रीय वयोश्री योजना योजनाओं के तहत 47,000 से अधिक पूर्व-चिह्नित विकलांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण वितरित करना है।
- इन शिविरों के आयोजन का उद्देश्य पूरे देश में एक समावेशी समाज के लिए एक परिप्रेक्ष्य का निर्माण करना है, जो विकलांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सशक्तिकरण और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना है।
- इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करना है, जिससे वे उत्पादक, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम

उद्देश्य:

- विधानमंडलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना

प्रावधान:

- इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करना और ष्यथासंभवष कुल सीटों में से एक-तिहाई सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित करना शामिल होगा।
- विधेयक पारित होने के बाद आयोजित पहली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीटें आरक्षित की जाएंगी। यह अधिनियम के प्रारंभ से 15 वर्षों के लिए महिला आरक्षण को अनिवार्य बनाता है, संसद को इसे आगे बढ़ाने का अधिकार है।
- विधेयक के अनुसार, महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का चक्रण प्रत्येक आगामी परिसीमन प्रक्रिया के बाद ही होगा, जिसे संसद कानून द्वारा निर्धारित करेगी।

प्रभाव:

- **इससे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या मौजूदा 543 के मुकाबले 181 हो जाएगी। मौजूदा सदन में 82 महिला सांसद हैं।**

संविधान में संशोधन:

- विधेयक, जो महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए अनुच्छेद **330 ए** में खंड (1) सम्मिलित करने का प्रयास करता है, एक अन्य खंड में कहा गया है कि लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों में से एक-तिहाई सीटें इन श्रेणियों की महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी, और तीसरा खंड महिलाओं के लिए लोकसभा में सीधे चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से एक-तिहाई, यथासंभव, अलग रखने पर है।
- विधेयक में विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को अनिवार्य करने के लिए अनुच्छेद 332 ए में संशोधन करने की मांग की गई है, साथ ही इस श्रेणी में महिलाओं के लिए एससी/एसटी सीटों की एक तिहाई और, सभी सीटों में से 33% - जहां तक संभव हो, रखने के लिए अनुच्छेद में अन्य संशोधन किए गए हैं। - महिलाओं के लिए सीधे चुनाव द्वारा भरा गया।
- विधेयक अनुच्छेद **239 एए** के खंड 2 में, उप-खंड (बी) के बाद, निम्नलिखित खंड सम्मिलित करना चाहता है: "(बीए) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगीष, और (बीबी), जो कहता है कि दिल्ली विधानसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षित एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

TRAI

TRAI क्या है?

TRAI का मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। यह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। TRAI भारत में दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है।

TRAI के मुख्य उद्देश्य हैं:

- **दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।**
- **दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।**
- **रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का कुशल उपयोग सुनिश्चित करें।**

TRAI के पास कई शक्तियाँ हैं, जिनमें शामिल हैं:

- **दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करना।**
- **दूरसंचार ऑपरेटरों को लाइसेंस देना।**
- **दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता का विनियमन।**
- **उपभोक्ताओं की शिकायतों की जांच करना।**

TRAI यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि उपभोक्ताओं को सस्ती, विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध हों। यह दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में भी भूमिका निभाता है, जिससे कीमतों को कम रखने और सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलती है।

TRAI के काम के कुछ विशिष्ट उदाहरण यहां दिए गए हैं:

- **TRAI ने मोबाइल फोन सेवाओं के लिए टैरिफ निधारित किए हैं, जिससे कीमतें कम रखने में मदद मिली है।**
- **TRAI ने नए दूरसंचार ऑपरेटरों को लाइसेंस दिया है, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है।**
- **TRAI ने दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिससे सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिली है।**
- **TRAI ने उपभोक्ताओं की शिकायतों की जांच की है और नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई की है।**

कार्य:

- **टैरिफ विनियमन:** TRAI दूरसंचार सेवाओं, जैसे मोबाइल फोन, फिक्स्ड-लाइन और ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करता है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि उपभोक्ताओं को सस्ती, विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो।
- **लाइसेंसिंग:** TRAI दूरसंचार ऑपरेटरों, जैसे मोबाइल फोन कंपनियों, फिक्स्ड-लाइन ऑपरेटरों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस देता है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि केवल योग्य ऑपरेटरों को ही भारत में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने की अनुमति है।
- **सेवा की गुणवत्ता विनियमन:** TRAI दूरसंचार सेवाओं, जैसे कॉल ड्रॉप, डेटा स्पीड और ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को नियंत्रित करता है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि उपभोक्ताओं को वे सेवाएँ प्राप्त हों जिनके लिए वे भुगतान करते हैं।
- **शिकायत देखभाल:** TRAI दूरसंचार सेवाओं के बारे में उपभोक्ताओं की शिकायतों को संभालता है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि उपभोक्ताओं के अधिकार सुरक्षित हैं।
- **स्पेक्ट्रम आवंटन:** TRAI दूरसंचार ऑपरेटरों को रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आवंटित करता है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि स्पेक्ट्रम का उपयोग कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से किया जाता है।

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA)

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक **मिनी रत्न** (श्रेणी-I) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान।
- एक सार्वजनिक लिमिटेड सरकारी कंपनी 1987 में एक **गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान** (NBFC) के रूप में स्थापित।
- IREDA को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक "सार्वजनिक वित्तीय संस्थान" के रूप में अधिसूचित किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ छठथ्ब के रूप में पंजीकृत किया गया है।
- IREDA मुख्य रूप से ऊर्जा के **नए और नवीकरणीय स्रोतों और ऊर्जा दक्षता/संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं** की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने, विकसित करने और विस्तारित करने में लगा हुआ है।

उद्देश्य:

- नए और नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से बिजली और/या ऊर्जा उत्पन्न करने और ऊर्जा दक्षता के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण के लिए विशिष्ट परियोजनाओं और योजनाओं को वित्तीय सहायता देना।
- नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता/संरक्षण परियोजनाओं में कुशल और प्रभावी वित्तपोषण प्रदान करने के लिए एक अग्रणी संगठन के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखना।

संघ लोक सेवा आयोग

- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 315** के अनुसार, एक स्थायी UPSC (संघ लोक सेवा आयोग) होगा।
- यह संस्था भारत सरकार के अधीन भारतीय सिविल सेवा के विभिन्न पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करेगी।
- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 315 से 323** UPSC सदस्यों की नियुक्ति, UPSC के कार्यों और शक्तियों से संबंधित हैं।

संघटन:

UPSC में एक अध्यक्ष और दस सदस्य होते हैं।

भारत के राष्ट्रपति UPSC अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए या 65 वर्ष की आयु होने तक पद पर रहता है।

कार्य:

1. विभिन्न भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं केंद्रीय सेवाओं और सार्वजनिक सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करता है
2. विशेष योग्यता की आवश्यकता वाली किसी भी सेवा के लिए संयुक्त भर्ती की योजनाएं बनाने और लागू करने में राज्यों की सहायता करता है।
3. राज्यपाल की मांग पर और भारत के राष्ट्रपति की सहमति से राज्य के हितों की सेवा करता है।
4. निम्नलिखित मामलों में UPSC से परामर्श किया जाएगा:
   (a) एक सिविल सेवक द्वारा उसके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही का बचाव करने में प्राप्त कानूनी एक्सप्रेस के मुआवजे की मांग।
   (b) एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अंतरिम नियुक्तियों से संबंधित मामले
   (c) कार्मिक प्रबंधन आदि के मामले

- संघ लोक सेवा आयोग ऐसे सुझाव देता है जो प्रकृति में सलाहकारी होते हैं।
- UPSC की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।

DPIIT

- DPIIT का मतलब उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है। यह भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। DPIIT भारत में उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नीतियां और योजनाएं बनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
- **1995 में स्थापित और 2000 में औद्योगिक विकास विभाग के विलय के साथ इसका पुनर्गठन किया गया।**
- 2019 में नाम बदला गया।

DPIIT के कुछ प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:

- **भारत में उद्योग के प्रचार और विकास के लिए नीतियां बनाना और लागू करना।**
- **भारत में निवेश को सुगम बनाना और निर्यात को बढ़ावा देना।**
- **घरेलू उद्योग और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।**
- **आंतरिक व्यापार और ई-कॉमर्स को बढ़ावा देना।**
- **औद्योगिक कानूनों और विनियमों को लागू करना।**

योजनाएं और कार्यक्रम:

- **मेक इन इंडिया पहल**
- **स्टार्टअप इंडिया पहल**
- **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना**
- **राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी)**
- **राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति**

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA)

- राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक मिशन मोड परियोजना है। इसका उद्देश्य सभी राज्य विधानसभाओं को डिजिटल सदनों में परिवर्तित करके उनके कामकाज को कागज रहित बनाना है। विधायी निकायों से संबंधित सभी कार्यों और डेटा को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए NeVA विकसित किया गया है।

NeVA के मुख्य उद्देश्य:

- सभी राज्य विधानसभाओं को डिजिटल सदनों में परिवर्तित करना।
- कार्यवाही को कागज रहित बनाना।
- विधायी प्रक्रिया को अधिक कुशल एवं पारदर्शी बनाना।
- विधायी प्रक्रिया में जनता को अधिक से अधिक भागीदारी प्रदान करना।

NeVA के प्रमुख लाभ:

- कार्यवाही को अधिक कुशल बनाता है और समय की बचत करता है।
- विधायी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाता है।
- विधायी प्रक्रिया में जनता को अधिक भागीदारी प्रदान करता है।
- कागज का उपयोग कम करता है, जिससे पर्यावरण को लाभ होता है।
- NeVA भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो देश में विधायी प्रक्रिया को अधिक कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में मदद कर रही है।

NeVA की विशिष्ट कार्यान्वयन पहलों में शामिल हैं:

विधेयकों और अन्य दस्तावेजों का डिजिटलीकरण: NeVA सभी बिलों, प्रस्तावों, प्रश्नों और अन्य दस्तावेजों को डिजिटल रूप से संग्रहीत और प्रबंधित करता है।

ऑनलाइन कार्यवाही: NeVA सदस्यों को कार्यवाही को ऑनलाइन देखने और उसमें भाग लेने की अनुमति देता है।

सुरक्षा और गोपनीयता: NeVA सदस्यों और जनता की जानकारी की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करता है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। CCI प्रतिस्पर्धा अधिनियम को लागू करने और भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है।

CCI के पास कई शक्तियाँ हैं, जिनमें शामिल हैं:

- **प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं, जैसे कार्टेलाइजेशन, प्रभुत्व का दुरुपयोग और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ जांच करना और कार्रवाई करना।**
- **यह सुनिश्चित करने के लिए विलय और अधिग्रहण को विनियमित करना कि वे प्रतिस्पर्धा को नुकसान न पहुँचाएँ।**
- **अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।**
- **प्रतिस्पर्धा नीति संबंधी मुद्दों पर सरकार को सलाह देना।**

CCI प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो।

उदाहरण:

- 2020 में, CCI ने ऑनलाइन विज्ञापन बाजार में अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग करने के लिए ळववहसम पर रिकॉर्ड 2 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया।
- 2021 में, CCI ने दो एयरलाइंस, जेट एयरवेज और एयर इंडिया के विलय की जांच का आदेश दिया।
- 2022 में, CCI ने प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

CCI भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण शक्ति है और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

ट्राइफेड

- TRIFED का मतलब ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ-ट्राईफेड) है। यह भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था है। ट्राइफेड की स्थापना 1987 में बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत की गई थी।
- **ट्राइफेड का मुख्य उद्देश्य भारत में आदिवासी लोगों के उत्पादों का विपणन करके और उन्हें वित्तीय और अन्य संसाधनों तक पहुंच प्रदान करके उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ट्राइफेड**

आदिवासी समुदायों के साथ उनके उत्पादों, जैसे लघु वन उपज (एमएफपी), हस्तशिल्प और कृषि उपज को इकट्ठा करने, संसाधित करने और विपणन करने के लिए काम करता है। ट्राइफेड आदिवासी उद्यमियों को उनके व्यवसाय को विकसित करने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण और सहायता भी प्रदान करता है।

कार्यक्रम और पहल:

- **वन धन योजना:** इस योजना का उद्देश्य एमएफपी के संग्रह, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देकर आदिवासी लोगों के जीवन में सुधार करना है।
- **जनजातीय कारीगर विकास योजना:** यह योजना आदिवासी कारीगरों को अपना व्यवसाय विकसित करने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करती है।
- **जनजातीय महिला स्वावलंबन योजना:** यह योजना आदिवासी महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **जनजातीय सहकारी विकास कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम आदिवासी सहकारी समितियों को अधिक कुशल और प्रभावी बनने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करता है।

ट्राइफेड ने भारत में जनजातीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इससे आदिवासी समुदायों की आय बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद मिली है। ट्राइफेड ने आदिवासी संस्कृति और विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ट्राइफेड के कार्य के उदाहरण:

- ट्राइफेड ने पूरे भारत में 10,000 से अधिक **वन धन केंद्र (ग्राम संग्रह केंद्र)** स्थापित करने में मदद की है। ये केंद्र आदिवासी समुदायों से एमएफपी एकत्र करते हैं और उन्हें उनकी उपज के लिए उचित मूल्य प्रदान करते हैं।
- ट्राइफेड ने पूरे भारत में 500 से अधिक जनजातीय कारीगर विपणन केंद्र स्थापित करने में भी मदद की है। ये केंद्र आदिवासी कारीगरों को अपने उत्पादों को व्यापक बाजार में बेचने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।
- ट्राइफेड ने 100,000 से अधिक आदिवासी महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) एक **संवैधानिक निकाय** है जिस पर भारत में अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के लिए काम करने की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना भारत के संविधान के **अनुच्छेद 338** के तहत की गई थी। छैब्ब का मुख्य उद्देश्य एससी समुदाय को भेदभाव और शोषण से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना है।

संघटन:

- **NCSC में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य 3 सदस्य हैं।**
- **इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।**
- **NCSC के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, और उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है।**

इतिहास:

- विशेष अधिकारी को अनुसूचित जाति के आयुक्त के रूप में नामित किया गया था। और वह भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच के लिए जिम्मेदार था।
- हालाँकि, 1987 में, भारत सरकार ने भारतीय संसद के सदस्यों के दबाव पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बेहतरी के लिए एक बहु-सदस्यीय आयोग बनाने का निर्णय लिया।
- एक सदस्यीय आयोग के बजाय बहु-सदस्यीय आयोग बनाने का विचार था। इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय संविधान में **65वें संशोधन** द्वारा एक सदस्यीय आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया, जिसमें बहु-सदस्य शामिल हैं।
- **89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 ने छैब्ब और अनुसूचित जनजाति को छैब्ब और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से बदल दिया।**
- 2004 में, अनुसूचित जाति के लिए **पहले राष्ट्रीय आयोग का गठन** किया गया था।
- भारत में अनुसूचित जातियों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए, संविधान ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद **338 के तहत एक विशेष अधिकारी** का प्रावधान किया है।

कार्य:

- यह भारत के संविधान के तहत अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मुद्दों की निगरानी और जांच करता है।
- यह अनुसूचित जाति के सुरक्षा उपायों से संबंधित शिकायत की जांच करता है।

- यह अनुसूचित जातियों के विभिन्न विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेता है और सलाह देता है और किसी भी राज्य और संघ के तहत उनके विकास का मूल्यांकन भी करता है।
- आयोग उन सुरक्षा उपायों पर काम करने की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष या अन्य समय जब आयोग चाहता है, प्रस्तुत करता है।
- यह भारत की अनुसूचित जातियों के कल्याण, सुरक्षा और विकास के लिए अन्य कार्यों का निर्वहन कर सकता है।

सिविल न्यायालय की शक्तियाँ:

- शपथ पर किसी व्यक्ति की जांच करना।
- देश में किसी भी व्यक्ति को उपस्थिति के लिए बुलाना और शपथ पर परीक्षण करना।
- किसी भी आवश्यक दस्तावेज का उत्पादन।
- किसी गवाह और दस्तावेजों की जांच करना।
- इसमें शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति भी है।

***

भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद

- भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद (ISPC) दोनों देशों के बीच बातचीत और सहयोग के लिए एक उच्च स्तरीय मंच है। इसकी स्थापना 2017 में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा और संस्कृति सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ की गई थी।
- ISPC की सह-अध्यक्षता भारत के प्रधान मंत्री और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस द्वारा की जाती है। द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा करने और सहयोग के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए इसकी सालाना बैठक होती है।
- ISPC ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। व्यापार और निवेश के क्षेत्र में, दोनों देशों ने ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और विनिर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में, दोनों देश तेल और गैस की खोज और उत्पादन के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। सुरक्षा के क्षेत्र में, दोनों देश आतंकवाद और प्रसार-विरोधी सहयोग पर सहमत हुए हैं। संस्कृति के क्षेत्र में दोनों देश सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
- **ISPC भारत और सऊदी अरब के बीच बातचीत और सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच है। इससे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और व्यापक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिली है। उम्मीद है कि ैप्ब्व आने वाले वर्षों में भारत-सऊदी अरब संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी।**

ISPC के लाभ:

- इससे भारत और सऊदी अरब के बीच **द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत** करने में मदद मिली है।
- इसने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा और संस्कृति सहित **कई क्षेत्रों में सहयोग** को बढ़ावा दिया है।
- इससे दोनों देशों के **व्यवसायों और लोगों के लिए नए अवसर** पैदा करने में मदद मिली है।
- इससे दोनों देशों के बीच **समझ और सहयोग** को बढ़ावा देने में मदद मिली है।

सीमेंट के रसायन पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस

- सीमेंट के रसायन पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस (ICCC) सीमेंट रसायन विज्ञान और इसके अनुप्रयोगों पर दुनिया का अग्रणी सम्मेलन है। यह हर चार से छह साल में आयोजित किया जाता है और इसमें दुनिया भर से शोधकर्ता, इंजीनियर और उद्योग पेशेवर भाग लेते हैं।
- ICCC सीमेंट के रसायन में नवीनतम प्रगति पर ज्ञान और विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- इसमें विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिनमें शामिल हैं:
- **सीमेंट और कंक्रीट की संरचना और गुण**

1. **सीमेंट का जलयोजन**
2. **सीमेंटयुक्त सामग्रियों की सूक्ष्म संरचना और प्रदर्शन**
3. **टिकाऊ निर्माण में सीमेंट का उपयोग**
4. **सीमेंट उद्योग के सामने चुनौतियाँ और अवसर**

1. ICCC सीमेंट उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि यह यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि उद्योग उच्च गुणवत्ता, टिकाऊ सीमेंट सामग्री का उत्पादन करने के लिए नवीनतम ज्ञान और प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रहा है।

- ICCC सीमेंट रसायन विज्ञान और इसके अनुप्रयोगों में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान संसाधन है। यह क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी विशेषज्ञों से सीखने और उद्योग में अन्य पेशेवरों के साथ नेटवर्क बनाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है।

स्किल इंडिया डिजिटल

- स्किल इंडिया डिजिटल भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है।
- **डिजिटल कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला:**

1. **वेब विकास**
2. **ऐप विकास**
3. **डिजिटल विपणन**

4. **डेटा विज्ञान**
5. **क्लाउड कम्प्यूटिंग**
6. **साइबर सुरक्षा**
7. **कृत्रिम होशियारी**
8. **यंत्र अधिगम (मशीन लर्निंग)**

- प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न चौनलों के माध्यम से पेश किए जाते हैं, जिनमें ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रशिक्षुता शामिल हैं। प्रशिक्षण सभी प्रतिभागियों के लिए निःशुल्क है।
- स्किल इंडिया डिजिटल ने 500 मिलियन लोगों को डिजिटल कौशल में प्रशिक्षित करने के अपने लक्ष्य में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अगस्त 2023 तक, पहल के माध्यम से 300 मिलियन से अधिक लोगों को डिजिटल कौशल में प्रशिक्षित किया गया है।
- डिजिटल कौशल प्रशिक्षण के लिए अपने अभिनव दृष्टिकोण के लिए स्किल इंडिया डिजिटल की सराहना की गई है। इस पहल ने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचने के लिए विभिन्न चौनलों का उपयोग किया है, और इसने डिजिटल कौशल प्रशिक्षण को सभी के लिए सुलभ बना दिया है।
- स्किल इंडिया डिजिटल एक महत्वपूर्ण पहल है जो भारत में डिजिटल कौशल अंतर को पाटने में मदद कर रही है। यह पहल भारत के युवाओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान कर रही है।

स्किल इंडिया डिजिटल के लाभ:

- यह भारत के युवाओं को **निःशुल्क डिजिटल कौशल प्रशिक्षण** प्रदान करता है।
- यह चुनने के लिए डिजिटल कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।
- यह जीवन के **सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए सुलभ** है।
- यह भारत में डिजिटल कौशल अंतर को पाटने में मदद कर रहा है।

किसानों के अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी (GSFR)

- **किसानों के अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी (GSFR) एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है जो किसानों, नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और अन्य हितधारकों को किसानों के अधिकारों पर चर्चा करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक साथ लाता है। GSFR की मेजबानी संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा की जाती है।**
- GSFR हर दो साल में आयोजित किया जाता है, और अगला GSFR 12 से 15 सितंबर, 2023 तक नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया जाएगा। अगले GSFR का विषय "किसानों के अधिकार: खाद्य और कृषि के लिए एक सतत भविष्य सुनिश्चित करना" है।
- GSFR किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है क्योंकि यह उन्हें अपने अनुभव और दृष्टिकोण साझा करने और अपने अधिकारों की वकालत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। GSFR नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों को किसानों से सीखने और किसानों के अधिकारों का समर्थन करने वाली नीतियां और कार्यक्रम विकसित करने का अवसर भी प्रदान करता है।
- GSFR ने किसानों के अधिकारों की उन्नति में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। उदाहरण के लिए, GSFR ने किसानों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों के बीच किसानों के अधिकारों के लिए समर्थन बनाने में मदद की है।
- GSFR ने किसानों को उनके अधिकारों का उपयोग करने में सहायता करने के लिए नए उपकरण और संसाधन विकसित करने में भी मदद की है।
- GSFR खाद्य और कृषि के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। किसानों के अधिकारों का समर्थन करके, GSFR यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि किसानों के पास स्थायी तरीके से भोजन का उत्पादन करने के लिए आवश्यक संसाधन और समर्थन है।

GSFR के लक्ष्य:

- किसानों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों के बीच किसानों के अधिकारों के लिए समर्थन बनाना।
- किसानों को उनके अधिकारों का प्रयोग करने में सहायता करने के लिए नए उपकरण और संसाधन विकसित करना।
- खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना।
- किसानों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने में आने वाली चुनौतियों की पहचान करना और उनका समाधान करना।
- किसानों के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई हेतु सिफारिशें विकसित करना।

OIML प्रमाणपत्र

- OIML प्रमाणपत्र अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मेट्रोलॉजी संगठन (OIML) द्वारा उन मापने वाले उपकरणों के लिए जारी

किए जाते हैं जो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सिफारिशों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। OIML की सिफारिशें स्वैच्छिक हैं, लेकिन दुनिया भर के देशों द्वारा उनका व्यापक रूप से पालन किया जाता है।

- OIML प्रमाणपत्र महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे गारंटी देते हैं कि मापने वाले उपकरण का अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए परीक्षण और अंशांकन किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि देशों के बीच व्यापार निष्पक्ष हो और उपभोक्ताओं को उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले माप उपकरणों की सटीकता पर भरोसा हो सके।
- OIML प्रमाणपत्र कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक विशेष प्रकार के माप उपकरण के लिए विशिष्ट होता है।

व्डस् प्रमाणपत्रों के सबसे सामान्य प्रकारों में शामिल हैं:

- **OIML मूल प्रमाणपत्र:** यह प्रमाणपत्र उन माप उपकरणों को जारी किया जाता है जो OIML अनुशंसा की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
- **OIML अनुरूपता प्रमाणपत्र:** यह प्रमाणपत्र उन मापने वाले उपकरणों को जारी किया जाता है जिन्हें OIML अनुशंसा और राष्ट्रीय मानक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परीक्षण और कैलिब्रेट किया गया है।
- **OIML सत्यापन प्रमाणपत्र:** यह प्रमाणपत्र उन मापने वाले उपकरणों को जारी किया जाता है जिन्हें OIML अनुशंसा और राष्ट्रीय मानक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परीक्षण और कैलिब्रेट किया गया है, और जिनका उपयोग व्यापार उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
- OIML प्रमाणपत्र **पांच साल की अवधि के लिए वैध** होते हैं, जिसके बाद मापने वाले उपकरण का पुनः परीक्षण और पुनः प्रमाणित किया जाना चाहिए।
- OIML प्रमाणपत्र दुनिया भर में माप उपकरणों की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। वे उपभोक्ताओं और व्यवसायों को गलत मापों से बचाने में मदद करते हैं, और वे निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देते हैं।

OIML प्रमाणपत्र होने के लाभ:

- **ग्राहकों का विश्वास बढ़ना:** ग्राहक उन माप उपकरणों पर अधिक भरोसा करते हैं जिनके पास OIML प्रमाणपत्र होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए उपकरण का परीक्षण और अंशांकन किया गया है।
- **कानूनी दायित्व का कम जोखिम:** जो व्यवसाय OIML प्रमाणपत्र के साथ माप उपकरणों का उपयोग करते हैं, उन्हें गलत माप के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी ठहराए जाने की संभावना कम होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे प्रदर्शित कर सकते हैं कि उन्होंने अपने माप उपकरणों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए हैं।
- **बेहतर व्यापार प्रदर्शन:** जो व्यवसाय OIML प्रमाणपत्र के साथ माप उपकरणों का उपयोग करते हैं, उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफल होने की अधिक संभावना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके ग्राहक आश्वस्त हो सकें कि उनके उत्पाद और सेवाएँ सटीक और विश्वसनीय हैं।

राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद (NCCBM)

- राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद (NCCBM) भारत सरकार के **आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संगठन है।** इसकी स्थापना 1962 में सीमेंट और निर्माण सामग्री उद्योग में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।

कार्य:

1. **सीमेंट एवं निर्माण सामग्री पर अनुसंधान करना**
2. **उद्योग हितधारकों तक शोध निष्कर्षों का प्रसार करना**
3. **उद्योग को तकनीकी सहायता प्रदान करना**
4. **सीमेंट और निर्माण सामग्री का मानकीकरण**
5. **टिकाऊ सीमेंट और निर्माण सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देना**

- NCCBM ने भारत में सीमेंट और निर्माण सामग्री उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने नई सीमेंटयुक्त सामग्री और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और टिकाऊ निर्माण प्रथाओं के उपयोग को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाई है।

खिलाड़ियों के लिए पंडित दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष (PDUNWFS)

- खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष (PDUNWFS) भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय की एक योजना है। इसकी स्थापना 1982 में गरीब परिस्थितियों में रहने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी।

उद्देश्य:

- **चिकित्सा उपचार:** उत्कृष्ट खिलाड़ियों या उनके परिवार के सदस्यों के चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- **शिक्षा:** उत्कृष्ट खिलाड़ियों या उनके बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **रखरखाव:** ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों के भरण-पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो चोट या अन्य कारणों से आजीविका कमाने में असमर्थ हैं।
- **अन्य आवश्यकताएँ:** उत्कृष्ट खिलाड़ियों की आवास और पुनर्वास जैसी अन्य जरूरतों के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।
- PDUNWFS एक मूल्यवान योजना है जो जरूरतमंद उत्कृष्ट खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि ये खिलाड़ी अपनी आजीविका बनाए रखने में सक्षम हैं और खेल समुदाय में योगदान देना जारी रख सकते हैं।

गुजरात घोषणा

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने ष्गुजरात घोषणाष के रूप में पहले WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का परिणाम दस्तावेज जारी किया है।
- **घोषणा में स्वदेशी ज्ञान, जैव विविधता और पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की गई।**
- WHO ने रेखांकित किया कि सभी के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अधिक समग्र, संदर्भ-विशिष्ट, जटिल और व्यक्तिगत दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझने, मूल्यांकन करने और जहां उपयुक्त हो, लागू करने के लिए कठोर वैज्ञानिक तरीकों के अनुप्रयोग की आवश्यकता है।
- यह दोहराता है कि जामनगर, गुजरात में WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के मेजबान के रूप में भारत की शिखर सम्मेलन कार्रवाई एजेंडा और अन्य प्रासंगिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में सदस्य राज्यों और हितधारकों का समर्थन करने के लिए WHO की क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका है।
- **लोगों और ग्रह के स्वास्थ्य और कल्याण, अनुसंधान और साक्ष्य, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य प्रणाली, डेटा और नियमित सूचना प्रणाली, डिजिटल स्वास्थ्य सीमाएं, जैव विविधता और स्थिरता, मानवाधिकार जैसे विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। समानता और नैतिकता।**

वैश्विक अवसंरचना निवेश के लिए साझेदारी (PGII)

कब?

- बुनियादी ढाँचा योजना की घोषणा 2021 में यूके में G7 (या ग्रुप ऑफ सेवन) शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी।
- 2022 में, जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान, सार्वजनिक और निजी निवेश के माध्यम से विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने में मदद करने के लिए PGII को आधिकारिक तौर पर एक संयुक्त पहल के रूप में लॉन्च किया गया था।

उद्देश्य:

- इसका लक्ष्य 2027 तक G7 से लगभग 600 बिलियन डॉलर जुटाकर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में निवेश करना है जो हमारे सभी लोगों के जीवन को बेहतर बनाता है और वास्तविक लाभ प्रदान करता है।
- वैश्विक स्तर पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत चीन द्वारा शुरू की जा रही और वित्त पोषित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के जवाब में, जी7 ने इसके लिए अपना वैकल्पिक तंत्र पेश करने का फैसला किया।
- PGII और BRI दोनों का घोषित उद्देश्य वैश्विक व्यापार और सहयोग को बढ़ाने के लिए सड़कों, बंदरगाहों, पुलों, संचार सेटअप आदि जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए देशों को सुरक्षित वित्त पोषण में मदद करना है।

जी7:

- **G7 देशों में यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूरोपीय संघ (EU) शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (B3W) फ्रेमवर्क कहा था।** हालाँकि, इसमें बहुत अधिक प्रगति दर्ज नहीं की गई।

विकल्प की क्या जरूरत थी?

- चीन की बेल्ट एंड रोड पहल और वैश्विक स्तर पर चीनी पदचिह्नों का मुकाबला करना।
- देशों को अस्थिर ऋण प्रदान करके विदेशी ठेकेदारों या स्वयं चीन को सौंपी जाने वाली सार्वजनिक संपत्तियों को रोकना।
- कोई भी गंभीर कनेक्टिविटी पहल पारदर्शी होनी चाहिए और संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के सबसे बुनियादी सिद्धांत के अनुरूप होनी चाहिए।
- अन्य लोगों को उन्नत व्यापार कनेक्टिविटी से मिलने वाले विभिन्न लाभ हैं।
- हालाँकि, G7 का कहना है कि उनकी पहल पारदर्शी है, जलवायु परिवर्तन-लचीले बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित है, और लैंगिक समानता और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है।

THE CORE IAS

GS ANSWER WRITING

CURRENT AFFAIRS

ADVANCED COURSE

GS FOUNDATION

OPTIONAL SUBJECT

HINDI SAHITYA

HISTORY OPTIONAL

GEOGRAPHY OPTIONAL

CSAT

011-41008973, 8800141518

©TheCoreIAS

www.thecoreias.com

योजना

उल्लास

- **केंद्र प्रायोजित योजना उल्लास** – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम सभी के लिए शिक्षा (जिसे पहले वयस्क शिक्षा कहा जाता था) को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप वित्त वर्ष 2022-27 के दौरान कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- **इस योजना के पाँच घटक हैं, अर्थात्:**

  1. मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता,

  2. महत्वपूर्ण जीवन कौशल,

  3. बुनियादी शिक्षा,

  4. व्यावसायिक कौशल,

  5. पढाई जारी करना।

ग्रामोद्योग विकास योजना

ग्रामोद्योग विकास योजना (GVY) भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को बढ़ावा देना है। यह योजना 1957 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना, गरीबी कम करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।

GVY के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इनमें कृषि आधारित उद्योग, हस्तशिल्प, बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य उद्योग शामिल हैं।

GVY के तहत विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें शामिल हैं:

ऋण: सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करती है। ये ऋण कम ब्याज दरों पर उपलब्ध कराये जाते हैं।

अनुदान: सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को अनुदान भी प्रदान करती है। इन अनुदानों का उपयोग उद्योगों को शुरू करने या विस्तार करने के लिए किया जा सकता है।

तकनीकी सहायता: सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है। यह सहायता उद्योगों को बेहतर बनाने और अधिक उत्पादक बनने में मदद करती है।

GVY ने ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों को रोजगार प्रदान किया है और गरीबी कम करने में मदद की है।

GVY के लाभ:

- **यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करता है।**
- **यह गरीबी को कम करने में मदद करता है।**
- **इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।**
- **यह ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देता है।**

प्रोजेक्ट उद्भव

- **प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना द्वारा राज्य कला, युद्ध कला, कूटनीति और भव्य रणनीति के प्राचीन भारतीय ग्रंथों से प्राप्त राज्य कला और रणनीतिक विचारों की गहन भारतीय विरासत को फिर से खोजने के लिए शुरू की गई एक पहल है।**
- यह परियोजना शासन कला और रणनीतिक विचारों के क्षेत्र में भारत के समृद्ध ऐतिहासिक आख्यानों का पता लगाने का प्रयास करती है।
- यह स्वदेशी सैन्य प्रणालियों, ऐतिहासिक ग्रंथों, क्षेत्रीय ग्रंथों और राज्यों, विषयगत अध्ययन और जटिल कौटिल्य अध्ययन सहित व्यापक स्पेक्ट्रम पर केंद्रित है।
- लक्ष्य स्वदेशी सैन्य प्रणालियों की गहन गहराई, उनके विकास, युगों से चली आ रही रणनीतियों और रणनीतिक विचार प्रक्रियाओं को समझना है जिन्होंने सहस्राब्दियों से भूमि पर शासन किया है।
- प्रोजेक्ट उद्भव का उद्देश्य केवल इन आख्यानों को फिर से खोजने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक स्वदेशी रणनीतिक शब्दावली विकसित करना भी है, जो भारत के बहुमुखी दार्शनिक और सांस्कृतिक चित्रों में गहराई से निहित है।

प्रधानमंत्री दक्ष और कुशलता सम्पन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना

- प्रधानमंत्री दक्ष और कुशलता सम्पन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना, **एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना,** 2020-21 के दौरान शुरू की गई थी।
- **योजना का मुख्य उद्देश्य लक्षित समूहों के योग्यता स्तर को बढ़ाना है ताकि उन्हें उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए स्व-रोजगार और मजदूरी-रोजगार दोनों में रोजगार योग्य बनाया जा सके।**
- इस योजना के तहत लक्षित समूह एससी, ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी सफाई कर्मचारी जिनमें कचरा बीनने वाले आदि शामिल हैं।
- योजना का **आयु मानदंड 18-45 वर्ष** के बीच है और आय मानदंड अनुसूचित जाति, कचरा बीनने वाले और डीएनटी सहित सफाई कर्मचारियों के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
- OBC के लिए वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और EBC (आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग) के लिए वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- **प्रशिक्षण के प्रकार, अवधि और प्रति उम्मीदवार औसत लागत**

1. अप-स्किलिंग/रीस्किलिंग (35 से 60 घंटे/5 दिन से 35 दिन):-रु.3000/- से रु.8000/-
2. अल्पावधि प्रशिक्षण (300 घंटे/3 महीने) :- रु.22,000/-
3. उद्यमिता विकास कार्यक्रम (90 घंटे/15 दिन): रु.7000/-
4. दीर्घकालिक प्रशिक्षण (650 घंटे/7 महीने) :- रु.45,000/-

मालवीय मिशन

मालवीय मिशन भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य **शिक्षकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण** प्रदान करना है। यह पहल **2014** में शुरू की गई थी और इसका नाम भारत के महान शिक्षाविद् और नेता पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर रखा गया था।

मालवीय मिशन के तहत शिक्षकों को दो सप्ताह के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कार्यक्रम में विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है, जिनमें बहु-विषयक शिक्षा, भारतीय ज्ञान प्रणाली, शैक्षिक नेतृत्व आदि शामिल हैं।

मालवीय मिशन के उद्देश्य:

- **शिक्षकों को अनुकूलित प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।**
- **शिक्षकों को भविष्य के लिए तैयार करना।**
- **प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना।**
- **नेतृत्व क्षमताओं का पोषण करना।**
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के साथ समन्वय स्थापित करना।**

मालवीय मिशन के तहत पूरे भारत में 111 मालवीय मिशन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों में शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ शिक्षकों और प्रशिक्षकों की एक टीम तैनात की जाती है।

शिक्षक प्रशिक्षण के लिए मालवीय मिशन एक महत्वपूर्ण पहल मानी जाती है। इस पहल ने पूरे भारत में लाखों शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद की है।

मालवीय मिशन के लाभ:

- **यह शिक्षकों को नवीनतम शैक्षिक सिद्धांतों और प्रथाओं के बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है।**
- **यह शिक्षकों को उनके व्यावसायिक विकास के लिए अवसर प्रदान करता है।**
- **यह शिक्षकों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने में मदद करता है।**
- **यह उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद करता है।**

श्रेयस योजना

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS) के माध्यम से अप्रैल 2019 में निकलने वाले सामान्य स्नातकों को उद्योग शिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए शिक्षुता और कौशल में उच्च शिक्षा युवाओं के लिए योजना (श्रेयस) शुरू की है।
- उद्देश्य: **'ऑन द जॉब वर्क एक्सपोजरश और वजीफा की कमाई प्रदान करके भारतीय युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना।**
- श्रेयस एक कार्यक्रम टोकरी है जिसमें तीन केंद्रीय मंत्रालयों, अर्थात् मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय अर्थात राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS), राष्ट्रीय कैरियर सेवा (NCS) की पहल और उच्च शिक्षण संस्थानों में बीए/बीएससी/बीकॉम (व्यावसायिक) पाठ्यक्रमों की शुरूआत शामिल हैं।

- श्रेयस मुख्य रूप से गैर-तकनीकी डिग्री पाठ्यक्रमों में छात्रों के लिए तैयार किया गया एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य उनकी शिक्षा में रोजगारपरक कौशल को शामिल करना, शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में प्रशिक्षुता को बढ़ावा देना और सरकार के रोजगार को बढ़ावा देने वाले प्रयासों को शिक्षा प्रणाली में शामिल करना है ताकि स्पष्ट रास्ते तैयार किए जा सकें। इसमें स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान और उसके बाद छात्रों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं।

उद्देश्य:

- **उच्च शिक्षा प्रणाली की सीखने की प्रक्रिया में रोजगार प्रासंगिकता को शामिल करके छात्रों की रोजगार क्षमता में सुधार करना।**
- **स्थायी आधार पर शिक्षा और उद्योग/सेवा क्षेत्रों के बीच घनिष्ठ कार्यात्मक संबंध बनाना।**
- **छात्रों को गतिशील तरीके से वे कौशल प्रदान करना जिनकी मांग है।**
- **उच्च शिक्षा में श्सीखते समय कमाओश प्रणाली स्थापित करना।**
- **व्यवसाय/उद्योग को अच्छी गुणवत्ता वाली जनशक्ति हासिल करने में मदद करना।**
- **सरकार के प्रयासों को सुविधाजनक बनाते हुए छात्र समुदाय को रोजगार से जोड़ना।**

कार्यान्वयन:

- प्राथमिक योजना राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS) के संयोजन में संचालित की जाएगी जो प्रत्येक व्यवसाय/उद्योग में कुल कार्यबल के 10% तक प्रशिक्षुओं को रखने का प्रावधान करती है।
- यह योजना सेक्टर कौशल परिषदों द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, शुरुआत में बैंकिंग वित्त बीमा सेवाएं (बीएफएसआई), खुदरा, स्वास्थ्य देखभाल, दूरसंचार, रसद, मीडिया, प्रबंधन सेवाएं, आईटीईएस और परिधान। उभरती प्रशिक्षुता मांग और पाठ्यक्रम समायोजन के साथ समय के साथ और अधिक क्षेत्र जोड़े जाएंगे।

महत्व:

- श्रेयस डिग्री छात्रों को अधिक कुशल, सक्षम, रोजगारपरक और हमारी अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए कौशल के साथ शिक्षा में एक बड़ा प्रयास होगा ताकि वे देश की प्रगति में योगदान दे सकें और लाभकारी रोजगार भी प्राप्त कर सकें।

CRIIIO 4 गुड

- **यह आठ क्रिकेट-आधारित एनीमेशन फिल्मों की एक श्रृंखला के माध्यम से लड़कियों और लड़कों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, यूनिसेफ और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सहयोग से शुरू की गई एक ऑनलाइन पहल है।** ये फिल्में युवा लड़कों और लड़कियों को खेलों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए आवश्यक जीवन कौशल सिखाती हैं।

कार्यक्रम के विषय हैं: नेतृत्व, समस्या-समाधान, आत्मविश्वास, निर्णय लेना, बातचीत, सहानुभूति, टीम वर्क, लक्ष्य निर्धारण,युवा दर्शकों के लिए सीखने को मनोरंजक और प्रासंगिक बनाना। यह कार्यक्रम लैंगिक समानता और समान अवसरों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के फोकस के अनुरूप है।

RODTEP योजना

- मौजूदा MEIS (भारत से व्यापारिक निर्यात योजना) को बदलने के लिए।
- **निर्यात को बढ़ावा देने के लिए**
- निर्यातकों को पहले से गैर-वसूली योग्य अंतर्निहित करों और शुल्कों पर रिफंड प्राप्त होने की सुनिश्चितता के लिये।

RoDTEP योजना की विशेषताएं:

- **पहले से गैर-वापसीयोग्य शुल्कों और करों की वापसी**
- **ऋण की स्वचालित प्रणाली**
- **डिजिटलीकरण के माध्यम से त्वरित सत्यापन**
- **बहु-क्षेत्रीय योजना**

क्यों चाहिए?

- **डब्ल्यूटीओ में एक विवाद पैनल ने भारत के खिलाफ फैसला सुनाया,** यह कहते हुए कि भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए निर्यात सब्सिडी कार्यक्रम व्यापार निकाय के मानदंडों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।
- पैनल ने आगे सिफारिश की कि निर्यात सब्सिडी कार्यक्रम वापस ले लिए जाएं। इससे RoDTEP योजना का जन्म हुआ, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत WTO के अनुरूप बना रहे।

रिपोर्ट / सूचकांक

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) 2023:

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत 40वें स्थान पर बरकरार है।

- इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- यह समय के साथ नवाचार में प्रगति का आकलन करने के लिए नीति निर्माताओं, व्यापारिक नेताओं और अन्य हितधारकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मूल्यवान मानक उपकरण भी है।
- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसी अर्थव्यवस्था के इनोवेशन इकोसिस्टम प्रदर्शन को मापने के लिए एक प्रमुख संदर्भ है।
- **प्रतिवर्ष प्रकाशित.**
- **2015 में 81वें स्थान से, भारत 2023 में 40वें स्थान पर पहुंच गया है।**
- जीआईआई रैंकिंग में लगातार सुधार विशाल ज्ञान पूंजी, जीवंत स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र और सार्वजनिक और निजी अनुसंधान संगठनों द्वारा किए गए अद्भुत काम के कारण है।
- जीआईआई दुनिया भर की सरकारों के लिए अपने संबंधित देशों में नवाचार के नेतृत्व वाले सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का आकलन करने के लिए एक विश्वसनीय उपकरण है।

***

मुख्य परीक्षा के लिए तथ्य और कीवर्ड

1. वर्तमान में भारत का 90% से अधिक व्यापार मात्रा के हिसाब से और 68% से अधिक मूल्य के हिसाब से समुद्री मार्गों से होता है।
2. **बेंगलुरु उन शहरों में से एक है जिसने हर किसी के दैनिक जीवन को प्लास्टिक के उपयोग से छुटकारा दिलाने के लिए नवाचार को अपनाया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका द्वारा हर नुक्कड़ और कोने में नारियल विक्रेताओं से जुड़े प्लास्टिक कचरे के व्यापक मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक अभूतपूर्व प्रयास के रूप में "नो स्ट्रॉ नारियल चौलेंज" शुरू किया गया है।**
3. तीन 'एस' – **कौशल, गति और स्केल** स्टार्टअप के साथ-साथ किसी अन्य व्यवसाय में लगे लोगों के लिए क्षमता निर्माण की कुंजी हैं।
4. भारत ने प्रमुख स्वच्छता मील का पत्थर हासिल किया, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत 75% गांव अब ओडीएफ प्लस हो गए हैं।
5. कचरे को अलग करें, स्वच्छता फैलाएं

***

OUR CLASSROOM RESULTS NOT OF INTERVIEW

JATIN JAIN
(Rank-91) UPSC CSE-2022

SHRUSTI
(Rank 165) UPSC CSE-2022

DAMINI DIWAKAR
(Rank 435) UPSC CSE-2022

AKANSHA
(Rank 702) CSE-2022

UPSC 2021-RANK 152
NEHA JAIN

ABHI JAIN
(Rank 282) 2021

VASU JAIN
(Rank 67) 2020

AKASH SHRISHRIMAL
(Rank 94) 2020

DARSHAN
(Rank 138) 2020

SHREYANSH SURANA
(Rank 269) 2020

ARPIT JAIN
(Rank 279) 2020

SANDHI JAIN
(Rank 329) 2020

RAJAT KUMAR PAL
(Rank 394)

SANGEETA RAGHAV
(Rank 2)-2018 UPPSC

PANKHURI JAIN
2018 UPPSC

ABHISHEK KUMAR
(Rank 38) 2018 UPPSC

THE CORE IAS

Scan here for Testimonial

103, B-5/6 II Floor, Himalika Commercial Complex Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 09

53/18, Old Rajinder Nagar, New Delhi, 110060